

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

वीकसीन अधिकारी :- कविता गोदारा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या: 29/2024

आर.सी.एम.एस. नं.: 2024/42

वीर बक्श पुत्र जमालदीन तेली जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला तेलियान, वार्ड नम्बर 06, ग्राम देशनोक तहसील व जिला बीकानेर।

प्रार्थी

बनाम

1. सदाम हुसैन पुत्र हसन अली जाति मुसलमान निवासी 10 नम्बर स्कूल के पास, हुसैनी मस्जिद के सामने, सुभाष रोड, बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक:

1. श्री अजय कुमार ओझा, प्रार्थी के लिए।
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. पेरोकारराज, राज्य के लिए।

निर्णय

दिनांक 29/05/24

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक

श्री अजय कुमार ओझा द्वारा उक्त अनवानी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.

आर.एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि ग्राम

गीगासर तहसील व जिला बीकानेर की सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 853/790

तादादी 5.9930 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा यानि 0.3200 हैक्टेयर स्थित है जिसे

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये बैयनामा दिनांक 24.08.2023 को खरीद किया था

उक्त बैयनामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम से

राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण क्रमांक संख्या 1043 स्वीकृति दिनांक 12.10.2023 को

अंकन हो चुका है। जिसके नये खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में 904/902 तादादी 0.

3200 हैक्टेयर दर्ज है जिसका मैं प्रार्थी तन्हा मालिक, काबिज, खातेदार, काश्तकार हूँ।

प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मानचित्र में तरमीम करते समय

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सहवन से खरीदशुदा भूमि के मौका कब्जा से कम 0.24 हैक्टेयर का नक्शा में तरमीम कर दिया गया है जबकि सही तरमीम 0.32 हैक्टेयर होनी चाहिए। जो कि गलत तरमीम सहवन से हुई है। जिसे सुधारा जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 24.08.2023 को जैर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी। उक्त बैयनामा में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी से 1 बीघा 5 बिरवा यानि 0.3200 हैक्टेयर भूमि खरीद की गई थी तथा बैयनामा के अनुसार ही मौका पर कब्जा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भौतिक व वास्तविक रूप से सुपुर्द किया गया था जिस पर प्रार्थी आज दिन तक काबिज काश्त है। जिसके नये खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में 904/902 तादादी 0.3200 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड की गई लेकिन राजस्व मानचित्र में खरीदशुदा कृषि भूमि का साईज बैयनामा/मौका कब्जा से भिन्न अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि का बैयनामा/मौका कब्जा के मुताबिक राजस्व मानचित्र में तरमीम नहीं होने से राजस्व मानचित्र में हुई गलत तरमीम को तरमीम दुरुस्ती के जरिये राजस्व मानचित्र में दुरुस्त करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा रहा है जिसका प्रार्थी अधिकारी है। बैयनामा/मौका कब्जा के मुताबिक तथा अप्रार्थी संख्या 1 से खरीदशुदा भूमि का राजस्व मानचित्र में विधिवत रूप से तामील नहीं होने से दिनांक 18.03.2024 को प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से मिला और विक्रित कृषि भूमि की तरमीम राजस्व मानचित्र में सही करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त गलत तरमीम को रेवेन्यू शीट में सही अंकन करवाने बाबत माननीय तहसीलदार महोदय, बीकानेर के समक्ष दिनांक 18.03.2024 को नक्शा में तरमीम दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया था जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय बीकानेर द्वारा प्रार्थी को निर्देशित किया गया कि नक्शा में तरमीम दुरुस्ती के अधिकार माननीय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को प्राप्त है इसलिए मैं नहीं कर सकता। आप माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष कार्यवाही पेश करें। जिससे प्रार्थी को माननीय न्यायालय हाजा के समख प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण हासिल हुआ है यही आधार प्रार्थना पत्र पेश करने का है जो कि निरन्तर हासिल है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय हाजा से करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पेरा सं. 1



उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

में वर्णित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 904/902 तादादी 0.3200 हैक्टेयर का राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट में गलत तरमीम 0.24 हैक्टेयर के स्थान पर बैयनामा/मौका कब्जा के अनुसार सही तरमीम 0.32 हैक्टेयर दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें। तदनुसार रिकॉर्ड मेन्टेन करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अता फरमावें।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रकरण के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 13.05.2024 को न्यायालय हाजा में स्वयं उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि ग्राम गीगासर तहसील व जिला बीकानेर की सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 853/790 तादादी 5.9930 हैक्टेयर में से 1 बीघा 5 बिस्वा यानि 0.3200 हैक्टेयर स्थित है जिसे प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये बैयनामा दिनांक 24.08.2023 को खरीद किया था उक्त बैयनामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण क्रमांक संख्या 1043 स्वीकृति दिनांक 12.10.2023 को अंकन हो चुका है। जिसके नये खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में 904/902 तादादी 0.3200 हैक्टेयर दर्ज है जिसका मैं प्रार्थी तन्हा मालिक, काबिज, खातेदार, काशतकार हूँ। स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मानचित्र में तरमीम करते समय सहवन से खरीदशुदा भूमि के मौका कब्जा से कम 0.24 हैक्टेयर का नक्शा में तरमीम कर दिया गया है जबकि सही तरमीम 0.32 हैक्टेयर होनी चाहिए। जो कि गलत तरमीम सहवन से हुई है। जिसे सुधारा जा सकता है। तथ्य स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 24.08.2023 को जैर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी। उक्त बैयनामा में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी से 1 बीघा 5 बिस्वा यानि 0.3200 हैक्टेयर भूमि खरीद की गई थी तथा बैयनामा के अनुसार ही मौका पर कब्जा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भौतिक व वास्तविक रूप से सुपुर्द किया गया था जिस पर प्रार्थी आज दिन तक काबिज काशत है। जिसके नये खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में 904/902 तादादी 0.3200 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड की गई लेकिन राजस्व मानचित्र में खरीदशुदा कृषि भूमि का साईज बैयनामा/मौका कब्जा से भिन्न अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि का बैयनामा/मौका कब्जा के मुताबिक राजस्व मानचित्र में तरमीम नहीं होने से राजस्व मानचित्र में हुई



3/6/24

गलत तरमीम को तरमीम दुरुस्ती के जरिये राजस्व मानचित्र में दुरुस्त करवाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा रहा है जिसका अप्रार्थी अधिकारी है। का तथ्य स्वीकार है। बैयनामा/मौका कब्जा के मुताबिक तथा अप्रार्थी संख्या 1 से खरीदशुदा भूमि का राजस्व मानचित्र में विधिवत रूप से तामील नहीं होने से दिनांक 18.03.2024 को प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से मिला और विक्रित कृषि भूमि की तरमीम राजस्व मानचित्र में सही करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त गलत तरमीम को रेवेन्यू शीट में सही अंकन करवाने बाबत माननीय तहसीलदार महोदय, बीकानेर के समक्ष दिनांक 18.03.2024 को नक्शा में तरमीम दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया था जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय बीकानेर द्वारा प्रार्थी को निर्देशित किया गया कि नक्शा में तरमीम दुरुस्ती के अधिकार माननीय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर को प्राप्त है इसलिए मैं नहीं कर सकता। आप माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष कार्यवाही पेश करें। जिससे प्रार्थी को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण हासिल हुआ है यही आधार प्रार्थना पत्र पेश करने का है जो कि निरन्तर हासिल है। स्वीकार है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दुरुस्ती का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण किया। विवादित भूमि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा जायदाद है, जिसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थी की भूमि ग्राम गीगासर खेत खसरा 904/902 तादादी 0.3200 हैक्टेयर स्थित है। जो जमाबंदी अनुसार रकबा सही होना प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, लेकिन उक्त भूमि के राजस्व नक्शा शीट के अनुसार प्रार्थी का रकबा 0.3200 हैक्टर के स्थान पर 0.24 हैक्टर तरमीम है, उक्त तथ्य विक्रेता अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का अनुतोष के बाबत सहमति प्रकट की है। प्रस्तुत जमाबंदी, नामान्तरकरण एवं बैयनामा अनुसार प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि का रकबा 0.3200 हैक्टर है, जिसे नक्शा शीट में दुरुस्त किया जाना न्यायानुमत प्रतीत होता है।

दीपक
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम
के खातेदार खेत खसरा नम्बर 904/902 तादादी 0.3200 हैक्टर के राजस्व नक्शा शीट
के अनुसार रकबा 0.24 हैक्टर के स्थान पर 0.3200 हैक्टर दुरुस्त किये जाने
का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति वास्ते अमल-दरामद तहसीलदर (राजस्व),
बीकानेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले
सत्र में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल
करे हो।


(कविता गुंजारा)
बीकानेर
अ.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर